न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.—134 / 2005 संस्थित दिनांक 21.03.2005 काई. क.234503000112005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी सालेटेकरी, आरक्षी केन्द्र, बिरसा जिला बालाघाट(म.प्र.)

महाजनलाल पिता धनसाय मरार, उम्र—38 वर्ष, निवासी ग्राम मजगांव, पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – – – <u>आरोपी</u>

/ / <u>निर्णय</u> / / (आज दिनांक 19.12.2017 को घोषित)

01— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—186, 353, 294, 506 का आरोप है कि उसने दिनांक 01.02.2005 को समय 18:30 बजे, बस स्टेण्ड चौक सालेटेकरी, थानांतर्गत बिरसा में प्रार्थी नरेश कुमार आरक्षक जो कि पुलिस आरक्षक होते हुए लोक कर्तव्य के निर्वहन में वाहन चेकिंग कार्य करने के दौरान उसे अश्लील शब्दों का उच्चारण कर, कॉलर पकड़कर उसके शासकीय कार्य में स्वेच्छया बाधा डाला, प्रार्थी नरेश कुमार आरक्षक जो कि पुलिस आरक्षक होते हुए लोक कर्तव्य के निर्वहन में वाहन चेकिंग कार्य करने के दौरान उसे भयोपरत करने के आशय से उसका कॉलर पकड़कर, खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया, प्रार्थी नरेश कुमार आरक्षक को साले, मादरचोद, बहन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा प्रार्थी नरेश कुमार को मृत्यु का भय कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.02.2005

को फरियादी नरेश कुमार ने पुलिस चौकी सालेटेकरी, थानांतर्गत बिरसा में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि वह पुलिस चौकी सालेटेकरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उसकी तथा आरक्षक कपूरचंद क.458 की ड्यूटी सालेटेकरी बस स्टेण्ड चौक पर वाहन चेकिंग में लगाई गई थी। उसी दौरान वहाँ पर ग्राम मजगांव का महाजन मरार आया और बोला कि तुम पुलिसवाले अकारण ही किसी को भी परेशान करते हो कहकर जोर—जोर से चिल्लाने लगा, तब फरियादी ने महाजन को समझाया कि वह लोग अपनी ड्यूटी कर रहे है, ड्यूटी में व्यवधान मत करों, तब महाजन आवेश में आकर बोला कि साले, मादरचोद, बहनचोद तुम लोग क्या समझाओं कहकर कॉलर पकड़कर धक्का दिया और जान से मारने की धमकी दिया था। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—06/2005, अंतर्गत धारा—186, 353, 294, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका—नक्शा तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—186, 353, 294, 506 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।
- 04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्निखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:01-क्या आरोपी ने दिनांक 01.02.2005 को समय 18:30 बजे, बस
 स्टेण्ड चौक सालेटेकरी, थानांतर्गत बिरसा में प्रार्थी नरेश कुमार आरक्षक
 जो कि पुलिस आरक्षक होते हुए लोक कर्तव्य के निर्वहन में वाहन चेकिंग
 कार्य करने के दौरान उसे अश्लील शब्दों का उच्चारण कर, कॉलर

पकड़कर उसके शासकीय कार्य में स्वेच्छया बाधा डाला ?

- 02—क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी नरेश कुमार आरक्षक जो कि पुलिस आरक्षक होते हुए लोक कर्तव्य के निर्वहन में वाहन चेकिंग कार्य करने के दौरान उसे भयोपरत करने के आशय से उसका कॉलर पकड़कर, खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
- 03-क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी नरेश कुमार आरक्षक को साले, मादरचोद, बहन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- **04**—क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी नरेश कुमार को मृत्यु का भय कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

सकारण व निष्कर्ष:-

विचारणीय बिन्द् कमांक 01, 03 एवं 04 का निष्कर्ष:-

साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिंदु कमांक 01, 03 एवं 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 05— साक्षी नरेश देशमुख अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2004 के शाम की है। उसकी तथा उसके साथी कपूरचंद बिसेन की वाहन चेकिंग में ड्यूटी बस स्टेण्ड सालेटेकरी में लगी हुई थी। उन लोग बस स्टेण्ड में ड्यूटी में थे, तभी महाजन आया और मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देते हुए कह रहा था कि पुलिस वाले अपने आपको समझते क्या है। आरोपी जो गालियाँ दे रहा था, उसे सुनने में बुरी लग रही थी। उन्होंने जब आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी कॉलर पकड़कर कहने लगा कि उन लोगों का दो दिन में तबादला करा देगा, फिर उसके बाद आरोपी महाजन ने उसे धक्का दिया, जिससे वह गिर गया, तब आरक्षक कपूरचंद ने बीच—बचाव किया था। आरोपी के द्वारा इस प्रकार किये गये कृत्य के कारण उसे अपने शासकीय कार्य निर्वाह में बाधा उत्पन्न हुई। उसके बाद उसने सालेटेकरी चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके बताये अनुसार प्र.पी.02 का मौका—नक्शा बनाया गया था।
- 06— साक्षी नरेश देशमुख अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार

किया है कि घटना के समीप वन विभाग का नाका है, जहाँ तिराहा है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह कपूरचंद के साथ मिलकर नाके पर द्रक वालों से अवैध रूप से वसूली कर रहा था और उसी समय आरोपी ने आकर उन्हें रोका था और इसी बात से उन लोगों के मध्य विवाद हुआ था। साक्षी के अनुसार उन लोग नाके से दूर थे। यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उनके साथ कोई गाली—गलौच नहीं की थी। यह स्वीकार किया है कि मौका—नक्शा प्र.पी.02 उसके सामने नहीं बनाया गया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मौका—नक्शा प्र.पी.02 घटनास्थल पर बनाया गया था या थाने में बनाया गया था। यह अस्वीकार किया है कि उन लोगों ने आरोपी के साथ मारपीट की थी और उसी से बचने के लिये उन्होंने झुठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

- 07— साक्षी जगदीश प्रसाद मिश्रा(अ०सा०—02) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो—तीन वर्ष पूर्व शाम के 9:00 बजे की है। वह घटना दिनांक को वन विभाग नाका सालेटेकरी में श्रमिक के पद पर तैनात था। नाके के पास ही एक ढाबे में हल्ला हुआ, तब उसने जाकर देखा कि आरोपी महाजन और देशमुख दोनों गाली—गलौच कर रहे थे, गालियाँ सुनने में उसे बुरी नहीं लगी, क्योंकि उसे गालियाँ नहीं दे रहे थे। फिर उसने दोनों को अलग—अलग किया और फिर दोनों चले गये थे। उसने पुलिस को बयान देना व्यक्त किया। साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी.02 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि जिस समय आरोपी और फरियादी दोनों बैठे थे और कौन गाली दे रहा था वह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई लड़ाई—झगड़ा नहीं हुआ था।
- 08— साक्षी शेख इब्राहिम(अ०सा0—03) का कथन है कि वह दिनांक 01.02.2005 को चौकी सालेटेकरी में प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने आरक्षक कपूरचंद तथा नरेश देशमुख की बस स्टेण्ड चौक पर वाहन चेकिंग ड्यूटी लगाया था। लगभग शाम 18:30 बजे वहाँ पर मझगांव का महाजन मरार, नरेश देशमुख से बोला कि तुम पुलिस वाले किसी को भी अकारण परेशान करते हो कहकर चिल्लाने लगा। नरेश ने महाजन को समझाया कि उन लोग ड्यूटी कर रहे है। ड्यूटी में व्यवधान पैदा मत करों, तब महाजन उत्तेजित होकर बोला साले, मादरचोद, बहनचोद तुम लोग क्या समझाओं कहकर कॉलर पकड़कर धक्का दिया तथा जान से मारने की धमकी दिया, उस समय चौक पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसमें रामकरण यादव, अमरदीप, रेशम, जगदीश मिश्रा आदि बहुत से लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी और सुनी है। आरक्षक द्वारा उसके समक्ष रिपोर्ट करने पर उसके द्वारा प्रथम सूचना पत्र लेख की गई, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। प्रार्थी के बताये अनुसार घटनास्थल पर जाकर गवाहों के समक्ष मौका—नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसके बाद उसके द्वारा आरक्षक कपूरचंद और आरक्षक नरेश देशमुख, गवाह जगदीश मिश्रा, अमरजीत यादव, रामकरण तथा रेशम चौधरी के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे।

- 09— साक्षी शेख इब्राहिम(अ०सा०—03) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह झगड़े के समय उपस्थित नहीं था और उसने जो बयान दिया है वह आरक्षक नरेश के बताये अनुसार दिया है। यह अस्वीकार किया है कि उसने मौका—नक्शा थाने में बनाया था और उसने प्रकरण में पुलिस विभाग के व्यक्तियों को ही गवाह बनाया है। साक्षी के अनुसार उसने स्वतंत्र साक्षियों को भी गवाह बनाया है। यह अस्वीकार किया है कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था। साक्षी के अनुसार उसने गवाहों के बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।
- साक्षी कपुरचंद बिसेन(अ०सा०–०४) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2005 की है। वह और नरेन्द्र देशमुख की फॉरेस्ट बेरियर सालेटेकरी में शाम के 6-7 बजे ड्यूटी लगी थी, तब वह लोग बैठे हुए थे, तभी आरोपी आया और देशमुख को कहने लगा कि साले–भोसड़ीके पुलिसवाले ऐसे ही हो और फिर उसके बाद आरोपी महाजन हाथ-मुक्कों से देशमुख को मारने लगा, जिससे उसे चेहरे में चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बेरियर में वह लोग थे, वहाँ से छत्तीसगढ़-राजनांदगांव की सडक है और वह बेरियर फॉरेस्ट का है और वह लोग बेरियर के सामने बैठे थे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि बेरियर के सामने बैठकर सड़क से आने-जाने वाले द्रक से अवध पैसे ले रहे थे और आरोपी ने उनसे कहा था कि द्रक वाले को क्यों परेशान करते हो और आरोपी के द्वारा उनसे पूछे जाने पर उन्होंने आरोपी के साथ मारपीट की, जिस समय आरोपी और देशमुख की लड़ाई हो रही थी, उस समय वहाँ पर वह उपस्थित नहीं था और आरोपी उनसे कह रहा था कि इसकी वह उच्च अधिकारी से शिकायत करेगा, शिकायत से बचने के लिये आरोपी के विरूद्ध झुटा प्रकरण बनाया गया है और आरोपी के द्वारा उनसे कोई मारपीट एवं गाली-गलीच नहीं की गई थी।
- 11— घटना के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से परिवादी के कथनों की पुष्टि होती है। घटना के संबंध में परिवादी की साक्ष्य अखण्डनीय है जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। साक्षियों की साक्ष्य तथा मौका—नक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल लोकस्थान होने में कोई संदेह नहीं है, परंतु जहाँ तक अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने का प्रश्न है, परिवादी के साथ ही घटनास्थल पर

फाईलिंग क.234503000112005

उपस्थित कपूरचंद बिसेन अ.सा.०४ ने परिवादी के विपरीत मॉ—बहन की गालियों का कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। यद्यपि घटना के पांच वर्ष बाद साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह विशिष्ट शब्दों का सही वृत्तांत दे, तथापि स्वतंत्र साक्षी जगदीश मिश्रा अ.सा.02 ने भी परिवादी और आरोपी दोनों द्वारा गाली–गलौच करना व्यक्त किया है, जिससे उक्त आरोप की पुष्टि नहीं होती और अभियुक्त तत्संबंध में दोषमुक्ति का अधिकारी है। इसी प्रकार घटना के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने तथा परिवादी के आचरण से किंचित भी दर्शित नहीं होता कि उसे अभियुक्त द्वारा अभित्रास कारित किया गया, क्योंकि मात्र कहे गये शब्दों के आधार पर उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता, जब तक यह दर्शित नहीं हो कि अभियुक्त वास्तव में ऐसा कर डालने का भाव रखता है और पीड़ित व्यक्ति ऐसी धमकी महसूस करता है। साथ ही चूंकि धारा—186 भा.द.वि. के अपराध हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—195(1)(क) के अधीन संबंधित लोक सेवक या लिखित परिवाद होना आवश्यक है एवं वर्तमान प्रकरण पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है। फलतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा सुरथापित सिद्धांतों के प्रकाश में उक्त अपराध के संबंध में की गई कार्यवाही आरंभतः शून्य है, परंतु उक्त आधार पर संपूर्ण प्रकरण खारिज नहीं किया जा सकता, यह भी न्यायदृष्टांतों द्वारा स्थापित है। फलतः बचाव पक्ष के संपूर्ण प्रकरण खारिज किये जाने के तर्क उचित प्रतीत नहीं होते।

विचारणीय बिंद् कमांक-02:-

प्रकरण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के समय परिवादी की ड्यूटी बस स्टेण्ड पर थी। हालांकि उक्त संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है, तथापि परिवादी नरेश अ.सा.01 सहित दोनों अभियोजन साक्षियों कपूरचंद अ.सा.०४ तथा शेख इब्राहिम अ.सा.०३ ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को प्रकट किया है। अब प्रश्न अभियुक्त द्वारा परिवादी का कालर पकड़ कर खींचतान कर आपराधिक बल प्रयोग को लेकर है, जिस संबंध में परिवादी नरेश अ.सा.०१ ने अखण्डनीय कथन किये हैं। यद्यपि कपुरचंद अ.सा.०४ ने परिवादी से विपरीत मारपीट करने के कथन किये हैं, तथापि मात्र उक्त आधार पर परिवादी की साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों का पूर्ण अभाव है तथा एक मात्र स्वतंत्र साक्षी जगदीश प्रसाद मिश्रा अ.सा.०२ ने मात्र गाली-गलौच होने तथा उसके सामने कोई झगडा नहीं होने के कथन किये हैं, परंत् मात्र उक्त आधार पर संपूर्ण अभियोजन को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उक्त साक्षी की साक्ष्य से भी घटना के समय आरोपी तथा परिवादी के विवाद की पुष्टि होती है तथा बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य अथवा प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है कि प्रकरण में अभियुक्त को दुर्भावनावश मिथ्या आलिप्त किया गया हो।

13— बचाव पक्ष का यह तर्क कि प्रकरण में साक्षीगण द्वारा घटनास्थल ही भिन्न-भिन्न बताया गया है, उन्हें कोई लाभ प्रदत्त नहीं करता, क्योंकि मौका

नक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल के पास फॉरेस्ट बेरियर तथा ढाबा दोनों स्थित होना दर्शित है। अब बचाव पक्ष का यह तर्क वाजिब है कि परिवादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह कौन सा वाहन चेक कर रहा था, जिसमें आरोपी द्वारा बाधा पहुँचाई गई। उक्त संबंध में यह अवलोकनीय है कि पूर्व विवेचना से यह स्पष्ट है कि घटना के समय परिवादी ड्यूटी पर था। ततुपश्चात यह अभियुक्त से अपेक्षित है कि वह यह सिद्ध करे कि परिवादी घटना के समय अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। परिवादी का कर्त्तव्य के लिए कार्यस्थल पर मौजूद रहना ही इस धारा की अपेक्षाओं को पूर्ण करता है। उसे यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह कार्यस्थल पर उपस्थित होकर दिये गये कार्य को पूर्ण कर चुका था अथवा पूर्ण करने की अवस्था में था। घटना के समय वाहन चेकिंग के लिए तैनात परिवादी को पुलिस के लिए अव्हेलनापूर्ण शब्दों का उच्चारण कर बल का प्रयोग करना ही दर्शित करता है कि अभियुक्त का कृत्य परिवादी को कर्त्तव्य से भयोपरत करना था, क्योंकि अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य कोई पूर्व विवाद दर्शित नहीं है, जिसके अनुक्रम में घटना कारित की गई हो। जिससे यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी नरेश कुमार आरक्षक जो कि पुलिस आरक्षक होते हुए लोक कर्तव्य के निर्वहन में वाहन चेकिंग कार्य करने के दौरान उसे भयोपरत करने के आशय से उसका कॉलर पकड़कर, खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—186, 294, 506 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–353 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

14— अभियुक्त द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

> (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

पुनःश्च-

- 15— दंड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। वह विगत 12 वर्षों से विचारण का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी उम्र को देखते हुए उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।
- 16— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया

णाई लिंग क.234503000112005
गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषिसिद्धि दर्शित नहीं है। प्रकरण में विगत
12 वर्षों से विचारण चल रहा है, जिसमें अभियुक्त उपस्थित होता रहा है।
उसके द्वारा कारित अपराध अत्यधिक गंभीर नहीं है, जिस हेतु उसे पर्याप्त
मानिसक संत्रास भी प्राप्त हो चुका है। फलतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को
देखते हुए उसे सामान्य दण्ड दिये जाने से न्याय की पूर्ति संभव है। अतः
अभियुक्त महाजनलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—353 के अपराध के
लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 2,000 / —(दो हजार) रुपये के
अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा
में अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिये एक माह का साधारण कारावास
भूगताया जावे।

- 17- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 18- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।
- 19— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा–428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 20— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

> सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

